राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –1210/2017...जिला...........जयपुर............

उनवान– मैसर्स एच.टी.सी. पाईप्स एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि.,जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

14.09.2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के. बैद उपस्थित।

उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के अधीन पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि कायम की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें धारा 38(4) के अधीन उक्त मांग राशियों के स्थगन बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 38(4) के अधीन प्रस्तुत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 10.07.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर केवल शास्ति की राशि को स्थगित किया निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि
1	2	3	4	5
1210/17	14–15	57,46,569	34,38,216	23,08,353

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा डम्पर्स एक निश्चित राशि 1,14,60,720/– रूपये पर मैसर्स एसोसियटड सॉप स्टोन डिसट्रिव्यूटिंग कम्पनी प्रा. लि. उदयपुर को उसकी साईड पर उपयोग के लिये उपलब्ध कराये। उक्त वाहनों डम्पर्स का स्वामित्व एवं कब्जा अनन्य रूप से अपीलार्थी कम्पनी के पास ही था, यह तथ्य लिखित करार से साबित है। इस प्रकार उक्त वाहनों पर प्रभावी व पूर्ण नियंत्रण तथा उसपर कार्य करने वाले व्यक्ति, वाहन के Break Down Costs, Service आदि अपीलार्थी कम्पनी के नियंत्रण एवं प्रभाव में थी। इस प्रकार मैसर्स एसोसियटड सॉप स्टोन को किसी भी प्रकार से

लगातार.............2

14/09/14

Right to use the goods का Transfer नहीं हुआ है। इसलिये धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर देयता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 36 के तहत् नोटिस जारी कर escaped assessment मानकर कर निर्धारण किया जाना विधि विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज पर प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाने के संबंध में कोई आधार नहीं उल्लेखित किया बल्कि एक Non Speaking आदेश पारित किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टाया मामला एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1 M/s Parle Products Pvt. Ltd Vs. State of Rajasthan (2013) 35 Tax Update 196 (RHC)
2. BSL Wulfing Limited Vs. state of Rajasthan & Ords (2008) 12 VST 300(RHC)
3. Choudhary Construction Company Vs. The Deputy Commr RLW 2003 (1) Raj. 409 Dated 04-10-2001
4. BGR Energy Systems Limited Vs. AC, A/E, Kota (2013) 37 Tax Update 238(RTB)DB

राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में वाहन डम्पर्स मैसर्स एसोसियटड सॉप स्टोन डिसट्रिब्यूटिंग कम्पनी प्रा. लि. उदयपुर को लींज पर दिये गये। जिसके एवज में लींज राशि 1,14,60,720/– रूपये प्राप्त किये है जो Right to use the goods के एवज में प्राप्त की गयी है। उक्त प्राप्त लींज राशि पर धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर देयता बनती है। इस प्रकार राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षों की बहस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Written Submissions पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के Non Speaking आदेश पारित किये जाने का आधार लेकर स्थगन के संबंध में प्रथम दृष्टाया मामला उसके पक्ष में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। Non Speaking आदेश ही स्थगन का एक मात्र और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब वर्तमान प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं तथ्यों का स्थगन के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है।

14/09/17

लगातार.............3

अपीलार्थी द्वारा मैसर्स एसोसियटड सॉप स्टोन डिसट्रिव्यूटिंग कम्पनी प्रा. लि. उदयपुर को डम्पर्स राशि 1,14,60,720/– रूपये का Lease Rent पर उपलब्ध कराये और अपीलार्थी कम्पनी द्वारा डम्पर्स का Custmer की साईट पर उपयोग किया इसके लिये एक निश्चित राशि चार्ज की गयी।

अपीलार्थी का यह तर्क है कि आलौच्य अवधि में उक्त वाहनों डम्पर्स का स्वामित्व एवं कब्जा अनन्य रूप से अपीलार्थी कम्पनी के पास ही था, जबकि राजस्व का यह तर्क है कि वाहन डम्पर्स लींज पर दिये गये थे तथा लीज राशि Right to use the goods के एवज में प्राप्त की गयी है जिसपर धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर देयता बनती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2017 में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से अलग हटकर विवेचन किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10. 07.2017 में यह उल्लेख किया है कि

"विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने आपने आदेश में अपीलार्थी के द्वारा के.बि. क.अ., 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत ट्रांजिट संव्यवहारों को राज्य का विक्रय मानकर, कर ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जो कि तथ्यों के विपरित है।.................इसलिये पारित आदेश में कायम की गयी राशि न्यायोचित नहीं है।"

जबकि वर्तमान प्रकरण में विवाद का यह बिन्दु है कि व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों को प्रयोग हेतु लीज पर दिया गया था या नहीं। क्या इसमें Right to use the goods का Transfer हुआ है व जिसके लिये धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर आरोपित किया जाये। किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 6(2) **CST Act** के संव्यवहारों के संबंध में विचार कर स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकरण में अन्य प्रकरणों में पारित आदेशों की प्रति प्रकरण के नम्बर बदल कर इस प्रकरण में भी संलग्न कर दी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य किया जा रहा है तब अपीलीय अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर कार्य किया जाना लापरवाही का द्योतक है।

अपीलार्थी द्वारा मैसर्स एसोसियटड सॉप स्टोन डिसट्रिव्यूटिंग कम्पनी प्रा.लि. उदयपुर को डम्पर्स एक निश्चित राशि 1,14,60,720/– रूपये पर उसकी साइट पर कार्य करने के लिये उपलब्ध कराये गये। इस संबंध में अपीलार्थी का यह तर्क है कि आलौच्य अवधि में उक्त वाहनों डम्पर्स का स्वामित्व एवं कब्जा अनन्य रूप से अपीलार्थी कम्पनी के पास ही था, इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विवाद का यह बिन्दु है कि व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों को प्रयोग हेतु लीज पर दिया गया था या नहीं ? क्या इसमें Right to use the goods का Transfer हुआ है, जिसके लिये

लगातार.............4

14/09/17

धारा 2(35) के अनुसार Deemed Sale के आधार पर कर आरोपित किया जाये ? जिसके संबंध में जैसा उपर विवेचन किया जा चुका है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.07.2017 में उल्लेख ही नहीं किया गया।

प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए **लीज राशि पर आरोपित कर व उस पर ब्याज की राशि 23,08,353/– रूपये की बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है।**

प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना राशि **23,08,353/–** रूपये की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 स्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर